2006 में संशोधित बाल न्याय (बच्चों की देखभाल एवं रक्षा) अधिनियम 2000 के तहत दत्तकग्रहण

(वकीलों, दत्तकग्रहण संसाथानो और दत्तक माता पिता की जानकारी के लिये)

CARA

केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण

महिला और बाल विकास मंत्रालय

भारत सरकार

पृष्टभूमि

अपने संवैधानिक आदेश के अनुसरण में, भारत सरकार ने बच्चों के कल्याण की एक राष्ट्रीय नीति (1974) का विकास किया है। इस नीति के मुख्य विषय को निम्नांकित शब्दों में संक्षेप में व्यक्त किया जा सकता है।

"राष्ट्र के बच्चे अत्यधिक महत्वपूर्ण संपत्ति हैं। उनका पालन-पोषण एवं उनकी चिन्ता करना हमारा उत्तरदायित्व है। मानव संसाधन के विकास की हमारी योजनाओं में बच्चों के कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनेंगे, ताकि हमारे बच्चे बड़े होकर गौरवशाली नागरिक बनें,शरीरिक रूप से चुस्त, मानसिक रूप से सचेत एवं नैतिक रूप से स्वस्थ हों, समाज के द्वारा आवश्यक कौशल एवं प्रेरणा से संपन्न हों। विकास की अवधि में सभी बच्चे के लिए विकास के समान अवसर हमारा लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि यह असमानता को कम करने एवं सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने में हमारे वृहद उद्देश्य को पूरा करेगा"।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एल.के.पाण्डेय बनाम भारत संघ का मामला (डब्ल्यू.पी.सं. 1982 के 1171 एवं परवर्ती फैसलों), संयुक्त राष्ट्र संघ के साधारण सभा के द्वारा 1989 में अपनाये गये "संयुक्त राष्ट्र संघ के बच्चों के अधिकार संबंधी घोषणा पत्र" और साथ ही "1993 के अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण संबंध में हेग समझौता" (दोनों भारत सरकार के द्वारा मंजूर) स्पष्ट रूप से यह निर्धारित करता है कि बिना परिवार के बच्चे का सर्वोत्तम हित इसके अपने सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश परिवार के साथ स्थापित होने वाले अवसर प्रदान कर पूरा किया जा सकता है। इस प्रकार हर बच्चे का देश के भीतर अपनी राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले परिवार के साथ स्थापन के लिये विचार किये जाने का अधिकार है। इस प्रकार, अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण को एक विकल्प के रूप में देखा जाना चाहिए, जिस पर तभी विचार किया जा सकता है जब उपयुक्त विकास संभव नहीं है। यह भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अनाथ,लावारिस और परित्याग किये गये बच्चों के दत्तक ग्रहण से संबंधित अधिसूचित दिशानिर्देशों में निर्धारित है।

केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अन्तर्गत दत्तक ग्रहण से संबंधित सभी मामलों के लिये राष्ट्रीय स्तर का केन्द्रीय निकाय है।

भारत सरकार अनाथ, छोड़ दिये गये और परित्याग किये गये बच्चों के पुनर्वास के लिये सर्वोत्तम गैर-संस्थागत सहायता समझी जाती है। संस्थागत देखभाल ऐसे बच्चों के लिये पुनर्वास संबंधी अंतिम प्राथमिकता है। दत्तक ग्रहण निस्संदेह रूप से किसी अनाथ,लावारिस और परित्याग किये गये बच्चे के लिये परिवार के माहौल में देखभाल एवं सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण रास्ता उपलब्ध कराता है और खुशी,प्रेम तथा उसकी प्रतिभाओं एवं क्षमताओं की प्राप्ति की समझ के लिये एक वातावरण प्रदान करता है।

2006 में संशोधित बाल न्याय (बच्चों की देखभाल एवं रक्षा) अधिनियम 2000 की धारा की 2 (aa)

''दत्तकग्रहण'' का तात्पर्य वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से गोद लिये गये (दत्तक) बच्चे को उसके जन्म-देने वाले माता-पिता से स्थायी रूप से अलग कर दिया जाता है एवं वह अपने (दत्तक) माता-पिता का सभी अधिकारों,विशेषाधिकारों एवं उत्तरदायित्वों सहित बच्चा वैध बन जाता है तथा उसके साथ ही उसे इस सम्बंध से जुड़े सभी अधिकार, विशेषाधिकार एवं उत्तरदायित्व भी प्राप्त होते है।

अधिनियम की धारा 40:
पुनर्वास एवं सामाजिक एकीकरण की प्रक्रिया

किसी बच्चे की पुनर्वास एवं सामाजिक एकीकरण की प्रक्रिया बच्चे के बाल आवास या विशेष आवास में रूकने के दौरान आरंभ होगी और पुनर्वास एवं सामाजिक एकीकरण की प्रक्रिया वैकल्पिक रूप से (1) दत्तक ग्रहण (2) पोषक देखभाल, (3) प्रायोजकता,एवं (4) बच्चे को परवर्ती-देखभाल वाली संस्था में भेजना आदि कार्यन्वित होती है।

आदर्श नियम 33 (1) एवं (2)

(1) दत्तक ग्रहण का प्राथमिक उद्देश्य किसी ऐसे बच्चे को एक स्थायी स्थानापत्र परिवार उपलब्ध कराना है, जिसकी देखभाल उसके जन्म-देने वाले माता-पिता नहीं कर सकते हैं।

(2) दत्तक ग्रहण के संबंध में सभी विषयों के लिए 'कारा' द्वारा जारी किये गये केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 41 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचित दिशानिर्देश लागू होंगे।

अधिनियम की धारा 41

1) बच्चों की देखभाल एवं उनको सुरक्षा प्रदान करना परिवार की प्रमुख जिम्मेदारी होगी।

2) निर्धारित क्रियाविधि के द्वारा अनाथ,लावारिस और परित्याग किये गये बच्चों के पुनर्वास के लिए दत्तक ग्रहण का सहारा लिया जायेगा।

3) समय-समय पर राज्य सरकार या केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (प्राधिकरण) द्वारा जारी एवं केन्द्र सरकार के द्वारा अधिसूचित दत्तक ग्रहण के विभिन्न निर्देशों के प्रावधान के अनुसार, बच्चों की दत्तक ग्रहण करने के लिये की गयी आवश्यक जाँच से संतुष्ट होने के बाद न्यायालय के द्वारा दत्तक प्रदान किया जाता है।

4) राज्य सरकार अपने एक या अधिक संस्थाओं या स्वैच्छिक संगठनों को हर जिले में इस

विधि से अनाथ,लावारिस और परित्याग किये बच्चों के स्थापन के लिये निर्धारित-उप धारा (3) में अधिसूचित दिशानिर्देशों के अनुसार विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसियों के रूप में मान्यता देगा।

बशर्ते कि बाल अवासों और राज्य सरकार या देखभाल तथा सुरक्षा की आवश्यकता वाले अनाथ, लावारिस और परित्याग किये गये बच्चों के लिये किसी स्वैच्छिक संगठन द्वारा, यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ये बच्चे बाल कल्याण समिति (CWC) के द्वारा दत्तक ग्रहण के लिये स्वतंत्र माने जाते हैं एवं ऐसे सभी मामलों को उप-धारा (3) में अधिसूचित दिशानिर्देशों के अनुरूप ऐसे बच्चों के दत्तक ग्रहण स्थापित करने के लिये उसे जिले से दत्तक ग्रहण एजेंसी को सौंप दिया जायेगा।

5) दत्तक ग्रहण के लिए कोई भी बच्चा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

(a) जब तक लावारिस बच्चे की स्थिति में समिति के दो सदस्य बच्चे को स्थापन के लिये वैधानिक रूप से स्वतंत्र घोषित नहीं कर देते हैं।

(b) जब तक परित्याग किये बच्चे की स्थिति में माता-पिता द्वारा पुनर्विचार करने की दो महीने की अवधि समाप्त नहीं हो गयी हो, एवं

(c) ऐसे बच्चे की स्थिति में उसकी सहमति के बिना जो समझ सकता है एवं अपनी स्वीकृति व्यक्त कर सकता है।

(6) न्यायालय किसी बच्चे को दत्तक ग्रहण की अनुमति प्रदान कर सकती है।

(a) किसी व्यक्ति को उसकी वैवाहिक स्थिति का ध्यान किये बिना,या

(b) किसी माता-पिता को उसके जीवित पुत्रों या पुत्रियों की संख्या का ध्यान किये बिना समान लिंग के किसी बच्चे को दत्तक देना

(c) निःसंतान दंपत्तियों को।

दत्तकग्रहण की प्रक्रिया

'कारा' के दिशानिर्देशों के अन्तर्गत दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया निम्नांकित हैं:

देश के भीतर दत्तक ग्रहण

1. सबसे पहले, आशान्वित दत्तक माता-पिता को विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी (SAA) के यहाँ पंजीकरण करानी चाहिये। दत्तक ग्रहण में दंपत्ति के रूचि, और इस स्तर पर दत्तक ग्रहण करने का निर्णय का पता लगाया जाता है।
2. एजेंसी के सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा आशान्वित दत्तकग्राही माता-पिता का एक घरेलू अध्यायन तैयार किया जाता है। आशान्वित दत्तक माता-पिता के भय एवं शंकाओं को

कम करने के लिये,घरेलू अध्यन की प्रक्रिया के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा पूर्व दत्तक ग्रहण सलाह-मशवरे का सत्र आयोजित किया जाता है। सफल दत्तक ग्रहण में किसी माता-पिता के अपने से नहीं उत्पन्न बच्चें के माता-पिता बनने की क्षमता एक निर्णायक महत्व रखती है।इसलिए किसी असंबंधित बच्चे के देखभाल करने की दंपत्ति की उपयुक्तता इस घरेलू अध्यन के द्वारा सुनिश्चित की जाती है।

3. बाद में, आशान्वित दत्तक माता-पिता एजेंसी को अपनी आर्थिक एवं स्वास्थ्य संबंधी स्थिति से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं।
4. तब बच्चे को भावी माता-पिता को दिखाया जाता है। एजेंन्सी माता-पिता के द्वारा इच्छा व्यक्त करने पर बच्चे का विवरण से मिलान किया जाता है।
5. एक बार सफल मिलान पूरा कर लेने पर, एजेंसी न्यायालय से एच.ए.एम.ए.(HAMA) य किसी अन्य उपयुक्त अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक आदेश प्राप्त करने के लिये एक याचिका दायर कर सकता है।न्यायालय के आदेश के विचाराधीन रहने पर बच्चे को पूर्व दत्तक ग्रहण पोषक देखभाल में रखा जा सकता है।
6. बच्चे की देखभाल करने एवं कानूनी प्रक्रिया पर होने वाले खर्च के लिये मान्य एजेंसी के द्वारा निर्धारित शुल्क लगायी जाती है।
7. जब तक बच्चा अपने आपको नये परिवेश के अनुकूल नहीं बना लेता है तब तक सामाजिक कार्यकर्ता नियमित रूप से अनुवर्ती भ्रमण एवं उत्तर दत्तक ग्रहण सलाह का काम करता है।

अंतर्देशीय दत्तकग्रहण

अंतर्देशीय दत्तकग्रहण प्रेषक एवं ग्राहक दोनों देशों की अधिकृत एजेंसियों/प्राधिकरणों को शामिल करने पर सभंव है। किसी भी विदेशी/पी.आई.ओ./एन.आर.आई./ओ.सी.आई. अभिभावक (कों) द्वारा सीधा दत्तकग्रहण नही किया जा सकता । कृपया विस्तृत विवरण के लिये www.adoptionindia.nic.in पर उपलब्ध CARA के दिशानिर्देशों को देखें।

दर्ज किये जाने वाले दस्तावेज

कृप्या CARA के दिशानिर्देश देखें www.adoptionindia.nic.in

बच्चों एवं आशान्वित दत्तकग्राही माता-पिता के लिए मापदंड

कृप्या CARA के दिशानिर्देश देखें www.adoptionindia.nic.in

आवेदनपत्रों का क्रियान्विकरण

घरेलू दत्तक ग्रहण की स्थिति में मान्यता प्राप्त भारतीय प्लेस्मेंट एजेंसी सहित विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसियों, भारत में रहने वाले भारतीय माता-पिताओं के मामलों को संसाधित कर सकता है।

अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण की स्थिति में केवल मान्यता प्राप्त भारतीय प्लेस्मेंट एजेंसी अप्रवासी भारतीय (एन.आर.आई)/ओ.सी.आई./पी.आई.ओ/विदेशी माता-पिताओं के मामलों को संसाधित कर सकता है।

कौन सा न्यायालय दत्तक ग्रहण के मामले को देखेगा ?

2006 में संशोधित बाल न्याय (बच्चों की देखभाल एवं रक्षा) अधिनियम 2000 के अन्तर्गत,बाल न्याय के अधीन दत्तकग्रहण के मामले में,अधिनियम की धारा 41 के अधीन याचिकाएँ दायर की जा सकती है। चूँकि अधिनियम ''न्यायालय'' पद को परिभाषित नहीं करता है, अधिनियम की धारा 68 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के द्वारा तैयार किये गये आदर्श नियम (2007) के अन्तर्गत दी गयी परिभाषा दत्तक ग्रहण के मामलों से निपटने में लागू होगी।

1. केन्द्रीय नियमों की धारा 33 (5) के अनुसार, ''न्यायालय'' का तात्पर्य एक दीवानी न्यायालय है, जिसका अधिकार-क्षेत्र दत्तक ग्रहण एवं अभिभावकत्व के मामलों में है और इसमें शामिल सकते हैं जिला न्यायाधीश के न्यायालय, परिवार न्यायालय एवं शहरी दीवानी न्यायालय।

2. मैनुयेल थ्योडोर डी'सूजा [II (2000) DMC 292] के मामले में, मुम्बई उच्च न्यायालय ने भी माना कि गोद लेने का अधिकार एक मौलिक अधिकार होने के कारण, दीवानी न्यायालय द्वारा लागू कराये जाने योग्य होना चाहिए क्योंकि यह दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 9 की परिसीमा में आता है। यह भी विचार किया गया कि दत्तक ग्रहण से संबंधित प्रश्न जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय का अधिकार-क्षेत्र है क्योंकि न्यायालय सामान्य रूप से अभिरक्षा (कस्टडी), अभिभावकत्व आदि से संबंधित विवादों से निपटता है।

3. ऐन्डू मेन्डीज एवं अन्य बनाम केरल राज्य के मामले (2008) में भी माननीय केरल उच्च न्यायालय के द्वारा ऐसा ही निष्कर्ष निकाला गया है। इसने बारीकी से जे.जे. अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय नियमों एवं परिवार न्यायालय अधिनियम में अंकित ''परिवार न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र'' की व्याख्या की और परिणामस्वरूप माना कि 2006 में संशोधित बाल न्याय अधिनियम 2000 की धारा 41 (6) के अधीन किसी आवेदन पर विचार करना केवन जिला न्यायालय का ही अधिकार क्षेत्र है।

संक्षेपण:

CARA	: सेन्ट्रल अडॉप्शन रिसोर्स ऑथोरिटी (केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण)
CWC	: चाइल्ड वेल्फेयर कमिटी (बाल कल्याण समिति)
HAMA	: हिन्दू अडॉप्शन एवं मेन्टीनेन्स ऐक्ट (हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं अनुरक्षण अधिनियम)
J.J. Act	: जुवेनाईल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन) बाल न्याय (देखभाल एवं बच्चों की सुरक्षा)
NRI	: नॉन रेजिडेन्ट इंडियन (अप्रवासी भारतीय)
NOC	: नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बाई CARA (कारा द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र)
OCI	: ओवरसीज सिटिजेन ऑफ इंडिया (समुद्रपारीय भारतीय नागरिक)
PAP	: प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पैरेन्ट्स (आशान्वित दत्तकग्राही माता-पिता)
PIO	: पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन (भारतीय मूल के व्यक्ति)
RIPA	: रिकगनाईज्ड इंडियन प्लेसमेन्ट एजेंसी (मान्यता प्राप्त भारतीय प्लेसमेंट एजेंसी)
SAA	: स्पेशल अडॉप्शन एजेंसी (विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी) अडॉप्शन एजेंसी रिकगनाईज्ड बाई स्टेट गवर्न्मेंट ऐज पर 41 (4) ऑफ जे.जे. ऐक्ट)
U/S	: अंडर सेक्शन (धारान्तर्गत)